/

संख्या-44/2026/1375/001-17-1002-002-13-2019

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 42,93,500.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-438/नि0शा0/2026-27 दिनांक 20.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,000/- के सापेक्ष अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीयमत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02-मजदूरी मद में रू0 169250/- 09- विद्युत देय मद में रू0 389920/-, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 154000/-, 42- अन्य व्यय मद में रू0 1069040/-,तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 2511290/- अर्थात कुल धनराशि रू0 42,93,500.00 (रू0 बयालीस लाख तिरान्नबे हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02-मजदूरी मद में रू0 169250/- 09- विद्युत देय मद में रू0 389920/-, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 154000/-, 42- अन्य व्यय मद में रू0 1069040/-,तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 2511290/- अर्थात कुल धनराशि रू0 42,93,500.00 (रू0 बयालीस लाख तिरान्नबे हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय परियोजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(4) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गतराज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक

अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(6)विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभागद्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कियाजायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृतकी जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मदसे दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2405001010408 (विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	02 मजदूरी	1,69,250 (रुपये एक लाख उनहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र)
2017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	09 विद्युत देय	3,89,920 (रुपये तीन लाख नवासी हजार नौ सौ बीस मात्र)
3017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	1,54,000 (रुपये एक लाख चौवन हजार मात्र)
4017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	10,69,040 (रुपये दस लाख उनहत्तर हजार चालीस मात्र)
5017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	25,11,290 (रुपये पच्चीस लाख ग्यारह हजार दो सौ नब्बे मात्र)
कुल			**42,93,500 (रुपये बयालीस लाख तिरानबे हजार पाँच सौ मात्र)**

महायोग	42,93,500 (रुपये बयालीस लाख तिरानबे हजार पाँच सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 27-07-2026 18:03:25

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 44 /2026/ 1875 /001-17-1002-002-13-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (सिविलआडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।